न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–महेन्द्र लोढा

प्रकरण संख्या–03 / 2012

तारीख रजू 10.01.2012

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर । --- सायल (प्रार्थी)

बनाम

सीताराम पुत्र रामप्रसाद जाति महाजन निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर।

--- गैरसायल (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 23-1-2018

पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग–पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल (अप्रार्थी) सीताराम पुत्र रामप्रसाद जाति महाजन निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर थाना मानटाउन सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है।

क.सं.	मु0नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1	184 / 11	17.05.11	13 आर.पी.जी.ओ.	98	20.5.11	सजा
2	291 / 11	14.07.11	13 आर.पी.जी.ओ	164	20.7.11	सजा
3	324 / 11	11.08.11	13 आर.पी.जी.ओ	194	20.8.11	सजा

उक्त पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधीत न्यायालय में चालाना पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोले भाले सीधे साधे लोगों को दाव पर धन लगाने के लिए उकसाकर तथा हार जीत के खेल अंको के आधार पर दाव लगाकर खाईवाली करता है। गैरसायल को अपने निवास स्थान सवाई माधोपुर में रहने देना लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है। गैरसायल के खिलाफ जुआ सट्टा जैसे कई प्रकरण दर्ज है, जिसमें गैरसायल का चालान समय–समय पर न्यायालय में पेश किया गया है जिनमें से तीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व किया जा चुका है। लेकिन गैरसायल बिना किसी कानून के डर से उक्त अपराध बार–बार कर रहा है जिससे सरकार एवं पुलिस प्रशासन की छवि धुमिल हुई हैं, जो लोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय की प्रतियॉ प्रस्तुत है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल श्री सीताराम पुत्र रामप्रसाद जाति महाजन निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोप द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्ड करते हुए जवाब पेश किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य मे पी.डबल्यू 1 श्री मोतीलाल सहायक उप निरीक्षक, पी.डब्ल्यू 2 रामसिंह सउनि, पी.डब्ल्यू 3 पहलवान सिंह सउनि व पी. डब्ल्यू 4 प्रमेन्द्र कुमार थानाधिकारी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर के बयान करवाये जो शामिल मिसल किये गये। बचाव पक्ष की साक्ष्य वकील गैरसायल द्वारा नहीं कराने हेतु निवेदन करने पर साक्ष्य बचाव पक्ष बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

अभियोजन अधिकारी एवं वकील गैरसायल (अप्रार्थी) की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया है कि अप्रार्थी को पुलिस द्वारा तीन बार 13 आर.पी.जी.ओ. अधिनियम के अन्तर्गत कृत्य कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय में चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरणों में अपराध सिद्व ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। 13 आरपीजीओ का उक्त अपराध समाज के लिए अभिशाप है जो जनहित के लिए हानिप्रद एवं समाज मे दुष्प्रेरणा प्रसारित करने व शांत वातावरण को प्रदूषित करने वाला है। गैरसायल 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत तीन बार दोषी पाये जाने पर गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अनिधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावें।

विद्वान वकील गैरसायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बसह में तर्क दिया है पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्रॉप किये जाने योग्य है। गैरसायल जुआ सट्टा जैसा कोई कार्य नहीं करता है नाही किसी को जुआ सट्टा हेतु प्रेरित करता है, पुलिस द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य मनगठन्त है। गैरसायल के खिलाफ कोई चोरी, लूटपाट या महिला छेडछाड का काई केश नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से गैरसायल के विरूद्व अभियोग दर्ज करवाया है । गैरसायल बाल बच्चे वाला व्यक्ति है। गैरसायल को जिला बदर किया जाता है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पायेगा। अतः गैरसायल के विरूद्व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

20/A

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की कार्यवाही निरस्त की जाकर अभियोग पत्र ड्रॉप फरमाया जावे।

अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान वकील गैरसायल की बहस सुनने एवं उस पर ममन करने तथा अभियोग पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकने करने के पश्चात मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्व है कि गैरसायल के खिलाफ थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में तीन प्रकरण 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत पंजीबद्व हुए है तथा बाद अनुसंधान इन आपराधिक प्रकरणो में आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा गैरसायल को धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत अपराध करने का दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 क धारा 2 (ख) (3) के अन्तर्गत 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम दो बार दोष सिद्व व्यक्ति को ''गुण्डा '' की श्रेणी मे माना गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 31.05.11, 26.7.11, 27.8.11 के आधार पर गैरसायल द्वारा धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत तीन बार दोष सिद्व होने की पुष्टि होती है तथा इन अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) (3) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि:–

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) (3) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित तीन अपराधो मे माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.05.11, 26.07.11, 27.08.11 के अनुसार तीन बार दोष सिद्व करार दिया जा चुका है। अतः गैरसायल ''गुण्डा'' की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधिया एवं प्रवृतिया अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र सवाई माधोपुर एवं जिला सवाई माधोपुर के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेश्रित करने वाली है।
3. गैरसायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले मे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (3) मे वर्णित आपराधिक कृत्य कारित करने में संलिप्त है।
4. गैरसायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

27/A

लिहाजा:–

मैं महेन्द्र लोढा अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाई माधोपुर गैरसायल श्री सीताराम पुत्र रामप्रसाद जाति महाजन निवासी लवकुश कॉलोनी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत ''गुण्डा'' घोषित करता हूँ तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना मानटाउन सवाई माधोपुर परिक्षेत्र से निष्काषित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथी से 15 दिवस पश्चात गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए जिला बूंदी के थाना इन्द्रगढ पर रहने हेतु थानाधिकारी इन्द्रगढ को सुपुर्द करे। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहॉ रहने की जानकारी के लिए थाने मे उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर/बूंदी एवं एक प्रति थानाधिकारी थाना मानटाउन सवाई माधोपुर/इन्द्रगढ जिला बूंदी को भेजे व एक प्रति गैरसयाल को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.1.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर